सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़, 1941 (श०)

संख्या- 555 राँची, मंगलवार, 16 जुलाई, 2019 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

3 जुलाई, 2019

विषय: झारखण्ड राज्य की अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर दर्ज "केवर्त्त" के साथ "माहिस्य (Mahisya)" जाति को सम्मिलित करने के संबंध में।

संख्या-14/जा०नि०-03-06/2016 का०- 5249-- झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 2001 की धारा-2 में अत्यंत पिछड़े वर्गों एवं पिछड़े वर्गों को परिभाषित किया गया है तथा इसमे सम्मिलित वर्ग को इस अधिनियम की क्रमशः अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

2. उक्त अधिनियम की धारा-14(अ) में अनुसूची-1 एवं अनुसूची-2 में उल्लेखित किसी जाति/वर्ग को जोड़ने या हटाने की शक्ति राज्य सरकार को प्रदत्त है।

3. झारखण्ड पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा राज्य सरकार को दी गई सलाह/परामर्श कि '' माहिस्य जाति को झारखण्ड राज्य के अत्यन्त पिछड़े वर्गो की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक-11

पर दर्ज "केवर्त्त" जाति के साथ जाति 'माहिस्य (Mahisya)' को समावेशित किया जाय" के आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है की "माहिस्य" को राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची-1) के क्रमांक-11 पर दर्ज "केवर्त्त" के साथ निम्नवत सम्मिलित की जाय: -

परिवर्धित स्वरूप निम्न प्रकार है :-

क्रमांक	वर्तमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
11	केवर्त्त	केवर्त्त, माहिस्य (Mahisya)

आदेश : आदेश दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 2001 की अनुसूची-1 का सुसंगत अंश इस हद तक संशोधित माना जायेगा।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति झारखण्ड राजपत्र में जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

के०के० खंडेलवाल,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 555 -- 50